रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2301] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 1, 2013/आश्विन 9, 1935

No. 2301] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2013/ASVINA 9, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2013

का.आ. 2980(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 23 जुलाई, 2013 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 2263 (अ) तारीख 9 जुलाई, 2013 के आदेश द्वारा कर्नाटक तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन 6 सितम्बर, 2013 तक की अवधि के लिए किया था ।

और केन्द्रीय सरकार का यह दृष्टिकोण है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन 6 सितम्बर, 2013 के पश्चात् किया जाना चाहिए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) 7 सितम्बर, 2013 से 3 वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, अर्थात् :—

1. सरकार के प्रधान सचिव, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, चौथा तल, एम.एस. बिल्डिंग, बैंगलोर —अध्यक्ष
2. सरकार का सचिव, (पारिस्थितिकी और पर्यावरण), वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, विधाग, 7वां तल, एम.एस. बिल्डिंग, बैंगलोर —सदस्य
3. सरकार के प्रधान सचिव, पशु पालन और मतस्य, विकास सौध, बैंगलोर —सदस्य
4. सरकार के प्रधान सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, विकास सौध, बैंगलोर —सदस्य
5. सरकार के प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, विकास सौध, बैंगलोर —सदस्य
6. सदस्य सचिव, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सं. 49, परिसर भवन, चर्च स्ट्रीट, बैंगलोर-560076 —सदस्य
7. महानिदेशक, पर्यावरण प्रबंध और योजना अनुसंधान संस्थान (ईएमपीआरआई) हसिरु भवन दोरेसानिपाल्या वन केमपुर, विनायका नगर सर्कल, जे.पी.नगर, 5वां फेज, बैंगलूर-560076 —सदस्य
8. निदेशक, कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेंटर, (केएसआरएसएसी), आईटी, बीटी, एस और टी विभाग, 6ठा तल, मल्टिस्टोरीज बिल्डिंग, बैंगलोर-560001 —सदस्य
9. डॉ. बी.के. शिवप्रसाद राय
   कंसलटेंट सर्जन एंड फोर्मर कमांडेंट आफ होम गार्डस, शोर्या, मार्टिन पायस रोड, हट हिल बेजाई पोस्ट, मैंगलोर-575004, दक्षिण कन्नड जिला —सदस्य
10. डॉ. सुब्बा राव
    आचार्य, एप्लाइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रालिक्स विभाग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, कर्नाटक, सूरतकाल, मैंगलोर —सदस्य
11. डॉ. गंगाधर गौड़ा
    आचार्य और प्रमुख, जलीय पर्यावरण प्रबंध विभाग, मतस्य महाविद्यालय, मैंगलोर —सदस्य

GO cc let this be put on web

19/11/13

12. कै.सी. जयाप्पा —सदस्य
एसोसिएट आचार्य, समुद्र भू विज्ञान विभाग, मैंगलोर महाविद्यालय, मंगला गंगोत्री, मैंगलोर

13. ज्येष्ठ निदेशक (तकनीकी) वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, एस. एस. बिल्डिंग, बैंगलोर —सचिव

2. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा कर्नाटक राज्य के क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :-

(1) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और कर्नाटक राज्य से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएमपी) में वर्गीकरण के परिवर्तन या उपांतरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना (जिसे इसमें इसके पश्चात् एनसीजैडएमए कहा गया है);

(2)(i) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (एनसीजैडएमए) द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हो;.

(ii) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परंतु इस उप-पैरा के उपखंड (i) और (ii) के अधीन मामले स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे ।

(3) उप-पैरा (1) और उप-पैरा (2) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना ;

(4) उप-पैरा (1) और (2) से उत्पन्न होने वाले विवादकों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

3. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादकों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे कर्नाटक राज्य, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

4. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए उच्च स्तरीय रूप से सहजभेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं बनाएगा ।

5. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए उच्च स्तरीय रूप से सहजभेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं बनाएगा ।

6. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

7. प्राधिकरण, ऊपर पैरा 4, 5 और 6 के अधीन उसके द्वारा तैयार की गई योजनाएं और उनके उपांतरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

8. प्राधिकरण, वित्त पोषण अभिकरणों या परियोजनों प्राधिकारियों आदि से प्राप्त निधियों या फीस को जमा करने के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाता रखेगा ।

9. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो कर्नाटक राज्य के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित की जाती हैं ।

10. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम-से कम एक बार राष्ट्रीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

11. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं ।

12. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियों और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

13. प्राधिकरण का मुख्यालय बैंगलोर में स्थित होगा ।

14. प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

[फा. सं. जे-12-4/2005-आईए-III]

मनिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 30th September, 2013

S.O. 2980(E).—Whereas by an order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, *vide* number S. O. 2263 (E), dated the 9th July, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 23rd July, 2013, the Central Government reconstituted the Karnataka Coastal Zone Management Authority for a period up to the 6th September, 2013;

And whereas, the Central Government is of the view that such an Authority shall be reconstituted after the 6th September, 2013;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby reconstitutes the Karnataka Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) for a period of three years with effect from the 7th September, 2013, namely :—

1. The Principal Secretary to Government, Forest, Ecology and Environment Department, —Chairman
4th Floor, M.S. Building, Bangalore

2. The Secretary to Government (Ecology and Environment), Forest, Ecology and Environment Department, 7th Floor M.S. Building, Bangalore —Member

3. The Principal Secretary to Government, Animal Husbandary and Fisheries, Vikasa Soudha, Bangalore —Member

4. The Principal Secretary to Government, Industries and Commerce Department, Vikasa Soudha, Bangalore —Member

5. The Principal Secretary to Government, Tourism Department, Vikasa Soudha, Bangalore —Member

6. The Member Secretary, Karnataka State Pollution Contral Board No. 49, Parisara Bhavan, Church Street, Bangalore- 560 076 —Member

7. The Director General
Environment Management and Policy Research Institute (EMPRI), 'Hasiru Bhavana' Doresanipalya Forest Campur, Vinayaka Nagara Circle, J. P. Nagar, 5th Phase, Bangalore-560 076 —Member

8. The Director
Karnataka State Remote Sensing Application Centre, KSRSAC, Department of IT, BT, S&T, 6th Floor, Multi Storied Building, Bangalore- 560 001 —Member

9. Dr. B.K. Shivaprasad Rai
Consultant Surgeon and former Commandant of Home Guards, Shourya, Martin Pais Road, Hat Hill, Bejai Post, Mangalore-575004, Dakshina Kannada District. —Member

10. Dr. Subba Rao
Professor Department of Applied Mechanics and Hydraulics, National Institute of Technology, Karnataka, Suratkal, Mangalore. —Member

11. Dr. Gangadhara Gowda
Professor and Head, Aquatic Environment Management Department, College of Fisheries, Mangalore —Member

12. Dr. K.S. Jayappa
Associate Professor, Department of Marine Geology, Mangalore University, Mangala Gangothri, Mangalore. —Member

13. Senior Director (Technical),
Department of Forests, Ecology and Environment, M.S. Building, Bangalore. —Secretary

2. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environment pollution in areas of the State of Karnataka, namely:—

(1) Examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone a reas and in the Coastal Zone Management Plan (herein after referred to as CZMP) received from the Karnataka State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as NCZMA);

(2) (*i*) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the NCZMA or by the Central Government, as the case may be.

(*ii*) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such cases, with comments, for review to NCZMA:

Provided that the authority may take up the cases under clauses (*i*) and (*ii*) of this sub-paragraph *suo-moto* or on the basis of any complaint made by an individual or a representative body or an organisation;

(3) filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (1) and (2) of this paragraph;

(4) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (1) and (2) of this paragraph.

3. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone, which may be referred to it by the State Government of Karnataka, the NCZMA or the Central Government as the case may be.

4. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate the area-specific management plans for such identified areas.

5. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate the area-specific management plans for such identified areas.

6. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare the integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

7. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs 4, 5 and 6 above and modifications thereof to the NCZMA for examination and its approval.

8. The Authority shall maintain the Bank account in a nationalised Bank to deposit funds or fees received from the State Government, funding agencies or project authorities etc.

9. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved CZMP of Karnataka.

10. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the NCZMA and the Ministry of Environment and Forests.

11. The Authority shall ensure that at least two third members of the Authority are present during the meetings.

12. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

13. The Authority shall have its headquarters at Bangalore.

14. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F.No. 12-4/2005-IA-III]

MANINDER SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.